

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।  
निःशुल्क बोरिंग हेतु प्रार्थना पत्र

+

सेवा में,  
खण्ड विकास अधिकारी,  
विकास खण्ड.....  
जनपद.....

महोदय,  
मै.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति.....  
(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) निवासी ग्राम.....विकास  
खण्ड.....जनपद.....उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की  
निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत खसरा संख्या.....में निःशुल्क बोरिंग कराकर  
सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूँ।

1- मेरे पास उत्तर प्रदेश भर में कुल.....हेक्टेयर भूमि है तथा कृषि के  
अतिरिक्त मेरी वार्षिक आमदनी रु0.....मात्र है।

2- मुझे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य विभाग अथवा योजना द्वारा लघु सिंचाई  
कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिला है।

3- मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै वर्तमान में पम्पसेट  
स्थापित नहीं कराना चाहता हूँ। पम्पसेट किराये पर लेकर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग  
सिंचाई हेतु करूँगा।

अथवा

मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै बैंक के माध्यम से  
विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तुत कर दूँगा  
तथा दो माह में पम्पसेट स्थापित करा लूँगा।

अथवा

मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै नगद क्रय प्रक्रिया के  
अन्तर्गत 02 माह में पम्पसेट स्थापित करा लूँगा।

4- मै इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तों  
का पालन करूँगा।

संलग्नक:- राजस्व विभाग के भूमि सम्बन्धी अभिलेख।

दिनांक.....

ह0कृषक



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोरिंग टेक्नीशियन की आख्या:-

+

कृषक का कथन सत्य है, उसे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य विभाग अथवा योजना द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। इनके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है इनका नाम ग्राम.....  
.....की चयनित सूची के क्रमांक.....पर अंकित है।

नाम कर्मचारी.....

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/  
बोरिंग टेक्नीशियन/स0बो0टे0

अवर अभियन्ता (ल.सि.)की आख्या:-

मैंने कृषक द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इनका प्रार्थना पत्र योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। अतः स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से अस्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

नाम अवर अभियन्ता(ल.सि.).....

ह0अवर अभियन्ता(ल.सि.)

खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति:-

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई जनपद.....

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोरिंग टेक्नीशियन तथा अवर अभियन्ता(ल.सि.)की संस्तुति तथा कार्यालय अभिलेखों के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने योग्य है। अतः निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग कराने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

निम्न कारणों से बोरिंग प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

नाम खण्ड विकास अधिकारी.....  
दिनांक.....

ह0खण्ड विकास अधिकारी,  
विकास खण्ड.....

सहायक अभियन्ता(ल.सि.) की स्वीकृति:-

उपरोक्त संस्तुति के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

नाम सहायक अभियन्ता(ल.सि.).....

ह0सहायक अभियन्ता(ल.सि.)  
जनपद.....

जो लागू न हो उसे काट दें।



लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।  
निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुरोध/अनुबन्ध पत्र  
(रु0 10 के नान जुडीशियल स्टाम्प पर)

सेवा में,

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,  
जनपद.....

महोदय,

अनुरोध है कि मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....  
निवासी ग्राम.....विकास खण्ड.....जनपद.....  
....उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अर्न्तगत बोरिंग  
कराकर शासन द्वारा अनुमन्य अनुदान की दरों पर विद्युत/डीजल, पम्पसेट/नलकूप  
स्थापित कर अथवा किराये के पम्पसेट से सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूं।

1. मैं बोरिंग कार्य में लघु सिंचाई विभाग को पूर्ण सहायोग दूंगा।
2. मैं बोरिंग स्थल पर सरकारी सामान तथा स्टोक सामग्री की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करूंगा तथा किसी भी प्रकार की हानि का उत्तरदायी रहूंगा।
3. मुझे बोरिंग कार्य हेतु अनुमन्य अनुदान की जानकारी है, मैं रु0.....रु0 से अधिक जो भी व्यय होता है उसे बोरिंग प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कर दूंगा अथवा स्वयं वहन करूंगा।
4. मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं वर्तमान में पम्पसेट स्थापित नहीं कराना चाहता हूं। पम्पसेट किराये पर लेकर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग सिंचाई हेतु करूंगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिये ऋण प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तु कर दूंगा तथा दो माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं नकद क्रय प्रक्रिया के अर्न्तगत 02 माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

5. मैं बोरिंग पूर्ण होने के दो माह के अन्दर ही विद्युत/डीजल पम्पसेट स्थापित कर सिंचाई आरम्भ कर दूंगा। ऐसा न होने पर मैं सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी सुविधा का हकदार न हूंगा तथा सरकार को अधिकार होगा कि वह मुझे प्राप्त ऋण तथा अनुदान की, एकमुश्त वसूली भूराजस्व के रूप में मुझसे कर ले।
6. मैं बोरिंग का साइज तथा पम्पसेट का हार्सपावर वहीं रखूंगा जो लघु सिंचाई विभाग द्वारा मेरी जोत, डिस्चार्ज व हेड के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। इसमें परिवर्तन करने पर मैं अनुदान का अधिकारी नहीं हूंगा।
7. मैं इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करूंगा।

दिनांक-.....

ह0 कृषक  
(1 रु0 के रेवेन्यू स्टाम्प पर)



अवर अभियन्ता(ल०सि०) की आख्या-

कृषक का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा चयनित है व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक .....को संस्तुति की गयी है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति के लघु/सीमान्त कृषक है। मैंने कृषक द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। उनका प्रार्थना पत्र योजना के अर्न्तगत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। इस बोरिंग पर संलग्न स्टीमेट के अनुसार मु०.....रु० का व्यय आने की संभावना है जिसमें से मु०.....रु० का भुगतान दिया जायेगा व मु०.....रु० कृषक ने विभाग में जमा कर दिये हैं/स्वयं वहन करेगा। अतः बोरिंग करने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

अवर अभियन्ता(ल०सि०)

स्वीकृत

सहायक अभियन्ता  
लघु सिंचाई.....

\*जो लागू न हो उसे काट दें।